

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

शिविरा-माध्य/मा-स/ELC/2021-22/156

दिनांक : 16.11.2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा।

विषय :- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम - 2023 के दौरान वीसी के माध्यम से Voter Portal/Voter Helpline App पर ऑनलाइन मतदाता पंजीयन हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

प्रसंग :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, निर्वाचन विभाग, जयपुर का कमांक : एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/SSR-2023/9799 जयपुर दिनांक : 16.11.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, निर्वाचन विभाग, जयपुर द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए अवगत करवाया है कि मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम - 2023 के दौरान 17+ एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं का शत-प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन वोटन हेल्पलाइन एप के माध्यम से किया जाना है। वीसी के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीयन हेतु प्रशिक्षण सत्र दिनांक : 17.11.2022 को सायं : 04.30 से 06.00 बजे तक आयोज्य है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि समस्त जिला नोडल अधिकारी, ELC, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO)/अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (ACBEO-II) निर्देशानुसार उक्त वीसी में भाग लिया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्न - यथोक्त


(रमेश कुमार हर्ष)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, निर्वाचन विभाग, जयपुर
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने बाबत।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक: एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/SSR-2023/9799
प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक : 16/11/2022

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
राजस्थान।

विषय : विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम -2023 के दौरान वीसी के माध्यम से Voter Portal/Voter Helpline App पर ऑनलाइन मतदाता पंजीयन हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम -2023 के दौरान 17+ एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं का शत प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से किया जाना है। वीसी के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीयन हेतु प्रशिक्षण सत्र का निम्नानुसार आयोजन किया जाना है-

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (VC के माध्यम से)

दिनांक	प्रतिभागी	स्थान	विषय
17.11.2022 (सांय 04.30 से 06.00 बजे तक)	- समस्त जिला स्वीप नोडल अधिकारी - स्वीप समर्पित AERO - कार्मिक, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय - समस्त ईआरओ - राज्य समन्वयक (स्कूल/कॉलेज) - समस्त जिला नोडल अधिकारी, ELC (स्कूल एवं कॉलेज) - जिला नोडल अधिकारी, SJED - मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO)/अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (ACBEO-II)	DoIT केन्द्र जिला मुख्यालय एवं DoIT केन्द्र उपखण्ड	- वोटर पोर्टल/ वोटर हेल्प लाइन एप - सोशल मीडिया जागरूकता

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम अनुसार संबंधित अधिकारीयो/कार्मिको को वीसी में भाग लेने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करें।

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान

कृ.प.उ.

क्रमांक: एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/SSR-2023/9799

जयपुर, दिनांक : 16/11/2022

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

11. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
13. आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ईएलसी राज्य समन्वयक एवं समस्त जिला नोडल अधिकारी, ईएलसी (कॉलेज) को उक्त वीसी में भाग लेने हेतु निर्देशित करावें।
14. निदेशक, निदेशालय, स्कूल शिक्षा, राज. बीकानेर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ईएलसी राज्य समन्वयक एवं समस्त जिला नोडल अधिकारी, ईएलसी (स्कूल) एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (II) को उक्त वीसी में भाग लेने हेतु निर्देशित करावें।
15. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त जिला नोडल अधिकारी (उपनिदेशक), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान को निर्देशित करावें।
16. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राज. जयपुर।
17. प्रबन्धक निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यक्रम अनुसार वीसी कक्ष आरक्षित करने का श्रम करावें।
18. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
19. आई.टी. शाखा को उक्तानुसार प्रशिक्षण सत्र में आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करावें।
20. केयर टेकर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यक्रम अनुसार वीसी कक्ष आरक्षित करने का श्रम करावें।



अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान